राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड़

परिवहन ठेके हेतु ई–निविदा प्रपत्र

निविदा प्राप्ति की अंतिम दिनांक **17.09.2018** मध्यान्ह पश्चात् 1.00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक **17.09.2018 मध्यान्ह पश्चात् 03:00 बजे**

अनुक्रमणिका

क्र. सं	विवरण	पेज.नं.
1.	निविदा आमंत्रण सूचना	03
	भाग–अ	
2.	अनुभाग.1 निविदा दाता हेतु दिशा निर्देश	05
3.	अनुभाग.2 परिवहन ठेके हेतु सामान्य नियम व शर्ते	06–08
4.	अनुभाग.3 निविदा प्रपत्र	09–10
5.	संलग्नकों की चैक लिस्ट	11
	भाग–ब	
6.	परिवहन कार्यों हेतु निर्धारित बी.एस.आर.	13
	भाग–स	
7.	इकाईयों के नाम व पते	15

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

No. F( )/विधायन/राजसीड्स/2018-19/ दिनांक :

निविदा सूचना

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए परिवहन ठेकेदारों से परिवहन कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई– निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं	इकाई का नाम	अनुमानित लागत (रू. लाखों में)	अमानत राशि (रू. लाखों में)	निविदा शुल्क	ई–निविदा हेतु प्रोसेसिंग शुल्क
क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर					
1.	चित्तौड़गढ	65.00	1.30	1770	1000
2.	भीलवाड़ा	40.00	0.80	1770	1000

1. यह निविदा राज्य सरकार की ई–निविदा वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस निविदा से संबंधित समस्त वांछित जानकारी एवं प्रपत्र इस वेबसाईट, SPP Portal राजस्थान सरकार www.sppp.rajasthan.gov.in, निगम वेबसाईट www.rajseeds.org एवं राजस्थान सरकार की कृषि पोर्टल www.agriculture.rajasthan.gov.in पर देखे अथवा डाउनलोड किये जा सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुए ई–निविदा प्रपत्र इस वेबसाईट पर दिनांक 17.09.2018 मध्यान्हः पश्चात् 01:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते है। अमानत राशि व निविदा शुल्क हेतु निर्धारित राशि का डिमाण्ड–ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड–ड्राफ्ट RISL के नाम बनवाया जाना अनिवार्य है एवं यह डिमाण्ड–ड्राफ्ट संबंधित इकाई पर दिनांक 17.09.2018 को प्रातः 11:00 बजे तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है। प्राप्त ई–निविदाओं की तकनीकि निविदा दिनांक 17.09.2018 मध्यान्ह पश्चात् 03:00 बजे खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तिय निविदा खोली जावेगी एवं इस हेतु तिथि एवं समय बाद में निर्धारित की जावेगी।
2. तकनीकी एवं वित्तिय निविदा प्रपत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही भरा जाना अनिवार्य है।
3. निर्धारित अमानत राशि, निविदा शुल्क एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
4. प्रत्येक इकाई के परिवहन ठेके हेतु पृथक–2 निविदा प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
5. उक्त ई–निविदायें केवल www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी।
6. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
7. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण अथवा आशिंक रूप से निरस्त करने का अधिकार आर.एस.एस.सी. का होगा।

(सुधीर कुमार वर्मा)
क्षेत्रीय प्रबन्धक
राज.स्टेट सीड्स कार्पो. लि.
उदयपुर

UBN No.........

भाग –अ

अनुभाग–1

निविदादाता हेतु दिशा–निर्देश

1. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र का पूर्णतः अध्ययन कर भरा जावें जिससे यह समझा जावे कि आप द्वारा निविदा की सभी नियम व शर्ते मान्य हैं।
2. निविदा प्रपत्र के भाग–अ के अनुभाग–3 के अनुरूप निविदा भरी जावे। निविदादाता द्वारा सभी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की कांट छांट मान्य नहीं होगी। यदि कांट छांट की जाती है तो संबंधित निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील के साथ ही मान्य होगी। यदि कांट छांट पर हस्ताक्षर नहीं पाये जाने पर पूर्ण निविदा निरस्त समझी जावेगी।
4. टेंडर में सभी वैद्यानिक औपचारिकताऐं जैसे GST, आयकर, प्रोविडेंट फण्ड के रजिस्ट्रेशन को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
5. अमानत राशि व निविदा शुल्क हेतु निर्धारित राशि का डिमाण्ड–ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड–ड्राफ्ट RISL के नाम बनवाकर निर्धारित समय तक संबंधित इकाई (चित्तौड़गढ़/भीलवाड़ा) पर जमा करवाना अनिवार्य होगा।
6. उपस्थित निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधी के समक्ष तकनीकी निविदा खोली जावेगी। निविदा तिथि के दिन निर्धारित समय पर केवल तकनीकि निविदा ही खोली जावेगी।
7. निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा सात दिवस में नियमानुसार राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शर्तों का अनुबंध–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदा में दी गई दरें ही मान्य होगी जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
9. तकनीकि निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
10. असफल निविदादाताओं की जमा अमानत राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी व सफल निविदादाता की जमा अमानत राशि धरोहर राशि के रूप में समायोजित कर ली जावेगी।
11. यह निविदा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार एवं www.eproc.rajasthan.gov.in द्वारा ई–निविदा हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों एवं चैक लिस्ट में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही भरी एवं अपलोड की जावे।
12. पूर्ण निविदा फार्म (पृष्ठ संख्या 01 से 15) भरकर उसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता फर्म की सील लगाकर व फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर मय वांछित आवश्यक दस्तावेज, डिमांड ड्राफ्ट आदि के निर्धारित दिवस तक अपलोड करवाया जावे।

(सुधीर कुमार वर्मा)
क्षेत्रीय प्रबन्धक
राज.स्टेट सीड्स कार्पो. लि.
उदयपुर

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

अनुभाग–2

परिवहन ठेके की शर्ते

1. परिवहन ठेका वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिये मान्य होगा।
2. अमानत राशि व निविदा शुल्क हेतु निर्धारित राशि का डिमाण्ड–ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड–ड्राफ्ट RISL के नाम बनवाकर निर्धारित समय तक संबंधित इकाई (चित्तौड़गढ़/भीलवाड़ा) पर जमा करवाना अनिवार्य होगा।
3. माल की लदाई के समय माल सम्भाल कर लेना होगा एंव उतराई के समय माल सम्भालना होगा।
4. माल संयंत्र से उठाना होगा एंव जहां माल जा रहा हैं, वहीं डिलीवरी करनी होगी, इसके लिये दी गई दरों के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नही होगी।
5. भाडे का भुगतान प्रत्येक ट्रक द्वारा भेजे गये माल की प्राप्ति रसीद जी.आर. की दूसरी प्रति पर एंव चालान की प्रति पर कार्यालय की मोहर सहित प्राप्त होने पर किया जावेगा।
6. निविदादाता परिवहन ठेकेदार के स्वामित्व में कम से कम एक ट्रक (न्यूनतम 9 टन क्षमता) होना अनिवार्य हैं एवं इस एक ट्रक का स्वामित्व होने संबंधि शपथ पत्र और उसकी आर.सी. (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की फोटोप्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।
7. निगम द्वारा परिवहन ठेकेदार से ट्रक मांगने हेतु पत्र व ई–मेल आईडी पर संबंधित ठेकेदार को सूचित करना होगा तथा इसके उपरांत चौबीस घंटे में ट्रक उपलब्ध करवाना होगा। आंशिक मात्रा हेतु भी वाहन मांगने पर तुरन्त उपलब्ध करवाना होगा। निर्धारित समय पर ट्रक उपलब्ध नही करवाने की स्थिति में निगम अपने स्तर पर परिवहन व्यवस्था कर लेगा औंर अन्तर राशि अधिकृत परिवहन ठेकेदार से वसूली की जाऐगी।
8. अधिकृत परिवहन ठेकेदार को माल की डिलीवरी लदाई से अधिकतम 24 से 72 घंटे में(दूरी के अनुसार) देनी होगी। निश्चित समयावधि में माल गन्तव्य स्थान पर नही पहुंचाने की स्थिति में निगम को होने वाले नुकसान की भरपाई परिवहन ठेकेदार से की जावेगी।
9. यदि परिवहन ठेकेदार द्वारा माल की आपूर्ति निश्चित गन्तव्य स्थान पर नही की जाती हैं, तो परिवहन ठेकेदार से माल के कुल विक्रय मुल्य के आधार पर वसूली की जावेगी।
10. परिवहन ठेकेदार बीजों का परिवहन इस प्रकार करेगा की बीज की गुणवत्ता एंव भौतिक स्थिति पर विपरित प्रभाव न पड़े। अन्यथा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता हैं, तो उसकी भरपाई परिवहन ठेकेदार द्वारा की जावेगी।
11. निगम हित में कुशल सेवाओं हेतु परिवहन ठेकेदार को प्रजनक/आधार बीज के परिवहन में लघु मात्राओं के लिये न्यूनतम 5 क्वि. मात्रा का भुगतान किया जा सकता हैं।
12. फसलवार एंव किस्मवार प्रमाणित बीजों की प्राप्तकर्त्ता को सुपुर्दगी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी परिवहन ठेकेदार की ही होगी।

13. विभागीय आपूर्ति में माल उतराई परिवहन ठेकेदार को करवानी होगी। इस कार्य हेतु संबंधित इकाई की माल उतराई हेतु अनुमोदित दर से संबंधित इकाई परिवहन ठेकेदार को पुर्नभरण करेगी।
14. यदि किसी फर्म द्वारा निविदा में अनुमानित लागत से कम दर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में सफल निविदादाता को निविदा की अनुमानित लागत से अंतर राशि की बैंक गांरटी (परफोमेन्स गांरटी के रूप में) देनी होगी।
15. माल के सुरक्षित परिवहन हेतु परिवहन ठेकेदार द्वारा Transit Insurance अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा एवं इस संबंध में समस्त वांछित सूचना संबंधित संयंत्र कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
16. यदि इकाई की आवश्यकतानुसार बीजों के विपणन हेतु अतिरिक्त केंद्र स्थापित किये जाते है तो उक्त केंद्रों से बीजों का परिवहन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि आवश्यकता हुई तो बीजो को केन्द्र से उठाकर वापस संयंत्र पर लाने का कार्य भी परिवहन ठेकेदार को करना होगा।
17. कार्य आदेश देने के पश्चात् परिवहन ठेकेदार द्वारा कार्य बन्द किये जाने या ना करने पर अमानत राशि/प्रतिभूति राशि/बैंक गारण्टी जब्त कर ली जावेगी व निगम को हुये समस्त प्रकार के नुकसान की भरपाई सम्बन्धित परिवहन ठेकेदार से की जावेगी।
18. राज्य सरकार के परिवहन नियमों की पालना करने की जिम्मेदारी परिवहन ठेकेदार की होगी व नियमों की पालना ना करने पर किसी भी प्रकार के नुकसान का समस्त उत्तरदायित्व परिवहन ठेकेदार का होगा।
19. परिवहन कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।
20. यूनियन बन जाने या टूट जाने की स्थिति में स्वीकृत निविदा दरें ही मान्य होगी।
21. निविदा में दी गई दरों में समस्त प्रकार के कर एवं अधिभार आदि सम्मिलित होगें एवं किसी प्रकार के कर हेतु अलग से भुगतान देय नहीं होगा। अनुबंध की अवधि में केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित समस्त करों के भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार फर्म की होगी।
22. G.S.T (जो भी नियमानुसार लागू हो।) का भुगतान अथवा कटौती निगम द्वारा तत्समय लागू कानून एवं नियमों के अनुसार की जावेगी तथापि समस्त करों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं निगम इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
23. ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं दिया जायेगा। बिल का भुगतान केवल 'एकाउन्ट पेई' चैक/RTGS द्वारा ही किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा भुगतान हेतु मासिक बिल प्रस्तुत करना होगा।
24. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध के साथ ही अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के रूप में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. के नाम डी.डी. के द्वारा जमा करवानी होगी, जिसे अनुबंध की समाप्ति के पश्चात् संतोषजनक कार्य होने पर लौटाया जावेगा। निविदा में जमा करवाई गई अमानत राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि के रूप में कर लिया जावेगा। इस प्रकार जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
25. निविदा अवधि के दौरान किसी भी तरह से दरों में वृद्धि नहीं की जायेगी।
26. निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा सात दिवस में नियमानुसार राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शर्तों का अनुबंध–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
27. ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ 100/– रू० के स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी फर्म को किसी भी विभाग/संस्था द्वारा काली सूचीबद्ध नहीं किया गया है एवं इस प्रकार के किसी भी प्रकरण में किसी भी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है।

28. परिवहन कार्य ठेके के नियम व शर्तो के अनुरूप संपादित नहीं करने की स्थिति में जमा अमानत राशि, प्रतिभूति राशि, परर्फोमेंस बैंक गारण्टी एवं अन्य लंबित भुगतान आदि समस्त राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जावेगी।

29. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के (आर.टी.पी.पी. एक्ट) प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव (कृषि), राजस्थान सरकार होगें एवं द्वितीय अपील अधिकारी वित्त विभाग, राजस्थान सरकार होगा।

30. आवश्यकतानुसार गाडी/ट्रक सांय 4.00 बजें तक कार्यालय/गोदाम पर उपलब्ध करानी होगी। इसके पश्चात् गाडी नही भरने पर निगम जिम्मेदार नही होगा।

31. बिल्टी/जी.आर. बनाये जाने पर ही गाडी/ट्रक गेट के बाहर जा सकेगी।

32. सफल निविदादाता स्वयं या उसका प्रतिनिधि कार्यालय/गोदाम पर आने के लिये अधिकृत होगा, जो कि अधिकत्तम दो सदस्यों को निविदादाता अधिकृत कर सकेगा। इसके लिये सदस्यों का नाम, पता मय फोटो व हस्ताक्षर प्रमाणित करके कार्यालय में देना होगा।

33. निविदादाता तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ उसे जारी GSTIN नम्बर के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

34. सशर्त निविदायें मान्य नही होगी।

35. ठेके में दरें नियमानुसार जी.एस.टी. को बिना सम्मिलित करते हुए दी जावेगी तथा जीएसटी नियमानुसार जो भी लागू हो, वह अलग देय होगा। जीएसटी को पृथक से बिल में दर्शाया जाना होगा।

36. बीज विक्रताओं द्वारा यदि स्वयं के साधन से बीज उठाया जाता है तो इकाई की अनुमोदित परिवहन दर से किराया दर पर पुनर्भरण किया जावेगा।

37. विधायन सामग्री परिवहन में सामग्री का वजन कम होने के कारण किराया कम बनता है, जिससे इकाईयों पर विधायन सामग्री के परिवहन में दिक्कत रहती है। अतः जिस क्षमता का वाहन लिया जाता है उसी के अनुसार उसका भुगतान किया जाना है। जैसे वजन 60 क्विं है तथा 90 क्विं की गाड़ी काम आ रही है तो उसे अधिकतम 90 क्विं वजन का किराया दिया जावेगा।

38. यदि रॉ बीज केम्प लगाकर बाहर उत्पादन क्षेत्र से विधायन केन्द्र/संयंत्र तक ले जाना है तो परिवहन ठेकेदार को वाहन उपलब्ध करवाना होगा।

39. यदि निगम को आवश्यकता हुई तो निविदादाता की अनुबन्ध अवधि आगामी तीन माह तक परिवहन कार्य करने के लिए बढाई जा सकेगी, जिसके लिए निविदादाता बाध्य होगा।

मैंने/हमने उपरोक्त निविदा की सभी शर्तो का पूर्ण अध्ययन कर लिया है तथा मुझे/हमें उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता(मय सील)

नाम :

पूरा पता :

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड़

अनुभाग–3

निविदा–प्रपत्र

सेवा में,

श्रीमान् संयंत्र प्रबन्धक,

राजथान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन.लि.

इकाई –...

(जिस इकाई के लिये परिवहन ठेका निविदा प्रस्तुत की जा रही हैं, उसका नाम लिखें–चित्तौड़गढ़/भीलवाड़ा)

विषयः– परिवहन ठेके हेतु निविदा वित्तीय वर्ष 2018–19 व 2019–20

महोदय,

1. निविदा दाता का नाम ....
2. पूर्ण पता ....
3. टेलीफोन नम्बर निवास........................मोबाइल न0...................
4. निविदा शुल्क ड्राफ्ट संख्या ....दिनांक .... राशि .... बैंक का नाम.. ....
5. ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क ड्राफ्ट संख्या ....दिनांक .... राशि .... बैंक का नाम...
6. अमानत राशि का विवरण ड्राफ्ट संख्या ....दिनांक ....राशि .... बैंक का नाम...
7. GST रजिस्ट्रेशन नम्बर ....
8. पेन नम्बर ....
9. ई–मेल आईडी ....

मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गयी नियम व शर्तों एवं निर्धारित बी.एस.आर. का अध्ययन कर लिया गया है और मैं निविदा की सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पूर्ण पता एवं सील

अनुभाग–3 (1)

तकनीकि निविदा हेतु प्रपत्र

सेवा में,

श्रीमान् संयंत्र प्रबन्धक,

राजथान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन.लि.

इकाई –.......................................

(जिस इकाई के लिये परिवहन ठेका निविदा प्रस्तुत की जा रही हैं, उसका नाम लिखें–चित्तौड़गढ़/भीलवाड़ा)

1. अमानत राशि, निविदा शुल्क एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (ड्राफ्ट संलग्न)................. ....
2. GST नम्बर ....
3. GST रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र, संलग्न करें ....
4. निविदादाता के स्वामित्व में कम से कम एक ट्रक (न्यूनतम 9 टन क्षमता) हो, इसका शपथ–पत्र रूपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न करे ....
5. निविदादाता के स्वामित्व में कम से कम एक ट्रक (न्यूनतम 9 टन क्षमता), जिसकी आर.सी. (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की स्पष्ट फोटो प्रति संलग्न ....
6. 100 रू. के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (किसी विभाग/संस्था द्वारा काली सूचिबद्ध नहीं है और ना ही इस प्रकार के किसी भी प्रकरण में किसी भी न्यायालय में कोई वाद लम्बित है।)...

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन

परिवहन निविदा हेतु संलग्नलकों की चैक लिस्ट

क्र.सं.	आईटम	जमा करवाने की प्रक्रिया	
1	अमानत राशि, निविदा शुल्क एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट	निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित इकाई कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है।	{ }
2	GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
3	निविदादाता के स्वामित्व में कम से कम एक ट्रक (न्यूनतम 9 टन क्षमता) हैं, इसका रूपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
4	निविदादाता के स्वामित्व वाले एक ट्रक (न्यूनतम 9 टन क्षमता) की आर.सी. (Registration Certificate) की छायाप्रति संलग्न करें।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
5	पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
6	पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा फार्म (पृष्ठ सं. 01 से 15 तक) जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता फर्म की मोहर एवं फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हो।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
7	100 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ–पत्र (किसी विभाग/संस्था द्वारा कालीसूचीबद्ध नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई वाद लंबित है)।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }

नोटः– उपरोक्तानुसार दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर निविदा निरस्त समझी जावेगी।

हस्ताक्षर मय सील निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

भाग –ब

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

परिवहन कार्यों हेतु बी.एस.आर. दरें (2018)

विभिन्न भार हेतु निर्धारित दरें (प्रति किलो मीटर/प्रति क्विं.)						
क्रं. सं	दूरी कि.मी. से तक	15 क्विं	30 क्विं.	60 क्विं	90 क्विं	150 क्विं या अधिक
		दर	दर	दर	दर	दर
1	0 से 50 तक	1.26	1.12	0.98	0.70	0.56
2	51 से 100 तक	1.12	0.84	0.65	0.53	0.35
3	101 से 150 तक	0.98	0.84	0.60	0.45	0.28
4	151 से 200 तक	0.84	0.65	0.50	0.35	0.25
5	201 से 300 तक	0.70	0.56	0.40	0.28	0.18
6	301 से 400 तक	0.56	0.45	0.33	0.24	0.15
7	401 से 500 तक	0.48	0.40	0.28	0.21	0.15
8	501 से अधिक	0.48	0.40	0.28	0.21	0.15

1. परिवहन कार्य हेतु भुगतान वास्तविक दूरी एवं वास्तविक परिवहन भार के अनुसार किया जावेगा किंतु न्यूनतम भार 5 क्विं.माना जावेगा।
2. 15 क्विं. तक के भार के लिए 15 क्विं की दरें मान्य होगी।
3. 15 क्विं. से अधिक एवं 30 क्विं. तक के भार हेतु 30 क्विं की दरें मान्य होगी।
4. 30 क्विं. से अधिक एवं 60 क्विं. तक के भार हेतु 60 क्विं. की दरें मान्य होगी।
5. 60 क्विं. से अधिक एवं 90 क्विं. तक के भार हेतु 90 क्विं. की दरें मान्य होगी।
6. 90 क्विं. से अधिक भार के लिए 150 क्विं. या अधिक की दरें मान्य होगी।

भाग –स

निविदा से सम्बन्धित कार्यालयों व इकाईयों के पते व सम्पर्क नंबर

	इकाई का नाम	पता	एस.टी.डी.कोड एवं फोन नं.	मोबाईल नं.
	मुख्यालय	राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर	0141–2227513 0141–2227514	9413385314 9530372317
1	क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर	क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. न्यू मंडी यार्ड गोदाम, उदयपुर	0294–2584687	9413385334 9414470812
2	चित्तौड़गढ	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. निंबाहेडा रोड़, चित्तौड़गढ़	01472–241012	9414470745
3	भीलवाड़ा	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. कृषि अनुसंधान केंद्र के पास, भीलवाड़ा	01482–264684	9649353102